

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

कोडोबाई पुत्री लखासिंह पत्नी गुलाबसिंह जाति रायसिख निवारी समेजा कोठी तहसील रायसिंहनगर आदि  
बनाम


सुरजीत सिंह पुत्र दलीप सिंह पुत्र लखासिंह जाति रायसिख निवारी चक 7 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ आदि

किरम मुकदमा:-प्रा0 पत्र अ.घा. 11/14 कॉलो. एक्ट 1954 सपठित धारा 21 आवंटन नियम 1975

प्र0सो:-437/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए
18.12.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर नहीं आये। अधिवक्ता प्रार्थी को कार्यालय समय में बार-बार आवाजें लगाई गई, परन्तु वकील प्रार्थी हाजिर नहीं आये। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 21 आवंटन नियम 1975 अदम पैरवी, अदम हाजरी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



  
(अर्पिता सोनी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

